

बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना – 800001

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal NO(S) 9869 of 2018 [@SLP (C) No. 17152 of 2017], डॉ. रितेश कुमार तरुण बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में वि.सं.- 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के बेसिक ग्रेड सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में शामिल एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 150547 जिन्हें डिप्लोमा के लिए 10 अंक दिया गया है, का अतिरिक्त परीक्षाफल

वि.सं.- 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के बेसिक ग्रेड सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों का परीक्षाफल 12.10.2015 को प्रकाशित किया गया था जिसमें दिनांक 28.12.2015 को प्रकाशित शुद्धि-पत्र के अनुसार कुछ संशोधन किये गये थे।

उक्त साक्षात्कार में समिलित एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 150547 द्वारा अपने साक्षात्कार के दिन Diploma in Orthopaedics का अंक पत्र प्रस्तुत किया गया था, प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया था। फलस्वरूप आयोग द्वारा डिप्लोमा के लिए अंक नहीं दिया गया था।

परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उक्त उम्मीदवार द्वारा Diploma in Orthopaedics के लिए 10 अंक का दावा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में Civil Appeal NO(S) 9869 of 2018 [@SLP (C) No. 17152 of 2017], डॉ. रितेश कुमार तरुण बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.09.2018 को पारित आदेश द्वारा उक्त उम्मीदवार द्वारा किये गये Diploma in Orthopaedics के लिए 10 अंक के दावा के अनुसार उम्मीदवार को 10 अंक देते हुए उनकी अनुशंसा विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुक्रमांक – 150547 को वि.सं.- 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के बेसिक ग्रेड सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु उनकी आरक्षण कोटि में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्हें सफल घोषित किया जाता है।

तिथि: 28 जनवरी, 2019

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

28.1.19.